



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2652]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 8, 2016/कार्तिक 17, 1938

No. 2652]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 8, 2016/KARTIKA 17, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2016

**का.आ. 3407(अ).**— भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है) ने सिफारिश की है कि विद्यमान श्रृंखलाओं के पांच सौ रुपए और एक हजार रुपए के अंकित मूल्य के बैंक नोट (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट बैंक नोट कहा गया है) वैध मुद्रा नहीं रहेंगे ;

और यह देखा गया है कि विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के जाली मुद्रा नोट अधिकांश रूप से परिचालन में हैं और वास्तविक बैंक नोटों की जाली बैंक नोटों से सरलता से पहचान करना कठिन है और जाली मुद्रा नोटों का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है ;

और यह देखा गया है कि उच्च मूल्य के बैंक नोटों का उपयोग गणना में न लिए गए धन के भंडारण के लिए किया जाता है जैसा कि विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा नकदी की बड़ी वसूलियों से परिलक्षित है ;

और यह भी देखा गया है कि जाली मुद्रा का उपयोग मादक पदार्थों का अवैध व्यापार और आतंकवाद जैसी ध्वंसकारी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को नुकसान कारित कर रही हैं तथा केंद्रीय सरकार ने सम्यक् विचारण के पश्चात् बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करती है कि विनिर्दिष्ट बैंक नोट 9 नवंबर, 2016 से नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक वैध मुद्रा के रूप में नहीं रहेंगे ;

1.(1) बैंककारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अधीन परिभाषित प्रत्येक बैंककारी कंपनी और प्रत्येक सरकारी खजाना 8 नवंबर, 2016 को कारबार की समाप्ति पर उसके द्वारा धृत विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के व्यौरों को उपदर्शित करते हुए एक रिटर्न पूरा करेंगे और 10 नवंबर, 2016 को 13.00 बजे से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात् रिजर्व बैंक कहा गया है) के अभिहित क्षेत्रीय कार्यालय को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में अग्रेषित करेगा ।

(2) उप पैरा (1) में निर्दिष्ट रिटर्न को अग्रेषित करने के तुरंत पश्चात्, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को लिंकड या निकटतम मुद्रा चेस्ट या रिजर्व बैंक की शाखा या कार्यालय में उनके लेखाओं में प्रत्यय के लिए प्रेषित किया जाएगा।

2. पैरा 1 के उप पैरा (1) में निर्दिष्ट किसी बैंककारी कंपनी या सरकारी खजाना से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धृत विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का रिजर्व बैंक के किसी निर्गम कार्यालय या पब्लिक सेक्टर बैंकों, प्राइवेट सेक्टर बैंकों, विदेशी बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों की किसी शाखा में 30 दिसंबर, 2016 तक की कालावधि और जिसमें वह तारीख सम्मिलित है, तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अर्थात् :-

(i) कुल 4,000/- रुपए या उससे कम मूल्य के विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का विधिक वैध मुद्रा की विशेषता रखने वाले किसी अंकित मूल्य के बैंक नोटों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्ररूप में एक अध्यपेक्षा पर्ची और पहचान के सबूत के साथ विनिमय किया जा सकेगा ;

(ii) विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय के लिए 4,000/- रुपए की सीमा का इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से पन्द्रह दिन के पश्चात् पुनर्विलोकन किया जाएगा और जहां भी आवश्यक हो, समुचित आदेश किया जा सकेगा ;

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा बैंक के पास रखे गए लेखे में प्रत्यय किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की मात्रा या मूल्य पर वहां कोई सीमा नहीं होगी, जहां विनिर्दिष्ट बैंक नोट जमा किए जाते हैं ; तथापि, उन लेखाओं में जहां अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानकों की अनुपालना पूर्ण नहीं है तो जमा किए जा सकने वाले विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का अधिकतम मूल्य 50,000/- रुपए होगा ;

(iv) जमा किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के समतुल्य मूल्य का जमा करने वाले द्वारा किसी बैंक में रखे गए लेखे में मानक बैंककारी प्रक्रिया के अनुसार और पहचान का विधिमान्य सबूत प्रस्तुत करने पर प्रत्यय किया जा सकेगा ;

(v) जमा किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के समतुल्य मूल्य का किसी तृतीय पक्षकार के लेखे में प्रत्यय किया जा सकेगा परंतु यह कि उसके लिए तृतीय पक्षकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकार मानक बैंककारी प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए और वास्तव में जमा करने वाले व्यक्ति की पहचान का विधिमान्य सबूत के पेश किए जाने पर, बैंक को प्रस्तुत किया जाता है ;

(vi) पटल पर किसी बैंक लेखे से नकदी का आहरण 24 नवंबर, 2016 को कारबार के घंटों की समाप्ति तक इस अधिसूचना के प्रारंभ होने की तारीख से किसी सप्ताह में 20,000/- रुपए की समग्र सीमा के अधीन रहते हुए 10,000/- रुपए प्रतिदिन तक निर्बंधित होगा, जिसके पश्चात् इन सीमाओं का पुनर्विलोकन किया जाएगा ;

(vii) किसी खाते के किसी व्यक्ति द्वारा प्रचालन के लिए किसी गैर नकद विधि के उपयोग पर कोई निर्बंधन नहीं होगा, जिसके अंतर्गत चैक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, मोबाइल बैलेट और इलैक्ट्रानिकी निधि अंतरण तंत्र या वैसे ही सम्मिलित होंगे ;

(viii) स्वचालित टैलर मशीनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् एटीएम कहा गया है) से 18 नवंबर, 2016 तक प्रतिदिन प्रति कार्ड आहरण 2,000/- रुपए तक निर्बंधित होगा और इस सीमा को 19 नवंबर, 2016 से प्रतिदिन प्रति कार्ड 4,000/- रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा ;

(ix) कोई व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का अपने बैंक खातों में 30 दिसंबर, 2016 को या उससे पूर्व विनिमय करने में या जमा करने में असमर्थ रहता है, उसको भारतीय रिजर्व बैंक के विनिर्दिष्ट कार्यालयों या ऐसी अन्य सुविधा में रिजर्व बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पश्चातवर्ती तारीख तक रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय करने या जमा करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा।

3.(1) पैरा 1 के उप पैरा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक बैंककारी कंपनी और प्रत्येक सरकारी खजाना 9 नवंबर, 2016 को सिवाय इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए तैयारी और नजदीकी मुद्रा चेस्टो या रिजर्व बैंक की शाखाओं या कार्यालयों और वैध मुद्रा की विशेषता रखने वाले बैंक नोटों की प्राप्ति के सभी कारबारों के संव्यवहार के लिए बंद होगा।

(2) सभी एटीएम, नकदी जमा मशीनें, नकदी पुनः चक्रक और कोई अन्य मशीन, जिसका उपयोग नकदी की प्राप्ति और संदाय के लिए किया जाता है, 9 नवंबर तथा 10 नवंबर, 2016 को बंद कर दी जाएगी।

- (3) पैरा 1 के उप पैरा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक बैंक एटीएम से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को वापस लेगा और उनको 11 नवंबर, 2016 को मशीनों को पुनः सक्रिय करने से पूर्व वैध मुद्रा की विशेषता रखने वाले बैंक नोटों से प्रतिस्थापित करेगा।
- (4) श्वेत लेबल एटीएम के प्रायोजक बैंक श्वेत लेबल एटीएम से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को वापस लेने के लिए और उन्हें मशीनों को पुनः सक्रिय करने से पूर्व 11 नवंबर, 2016 को वैध मुद्रा की विशेषता रखने वाले बैंक नोटों से प्रतिस्थापित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (5) सभी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके एटीएम और श्वेत लेबल एटीएम रिजर्व बैंक से और अगले अनुदेश प्राप्त होने तक 100 रुपए या 50 रुपए अंकित मूल्य के बैंक नोटों का वितरण करेंगे।
- (6) पैरा 1 के उप पैरा (1) में निर्दिष्ट बैंककारी कंपनी और सरकारी खजाने 10 नवंबर, 2016 से अपना सामान्य संव्यवहार आरंभ करेंगे।
4. पैरा 1 के उप पैरा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक बैंककारी कंपनी, 10 नवंबर, 2016 से आरंभ होने वाले प्रत्येक दिन के कारबार के समाप्त होने पर, रिजर्व बैंक को एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्ररूप के अनुसार इसके द्वारा विनिमय किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के ब्यौरे दर्शित होंगे।

[फा.सं. 10/03/2016-सीवाई.1]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th November, 2016

**S.O. 3407(E).**— Whereas, the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as the Board) has recommended that bank notes of denominations of the existing series of the value of five hundred rupees and one thousand rupees (hereinafter referred to as specified bank notes) shall be ceased to be legal tender;

And whereas, it has been found that fake currency notes of the specified bank notes have been largely in circulation and it has been found to be difficult to easily identify genuine bank notes from the fake ones and that the use of fake currency notes is causing adverse effect to the economy of the country;

And whereas, it has been found that high denomination bank notes are used for storage of unaccounted wealth as has been evident from the large cash recoveries made by law enforcement agencies;

And whereas, it has also been found that fake currency is being used for financing subversive activities such as drug trafficking and terrorism, causing damage to the economy and security of the country and the Central Government after due consideration has decided to implement the recommendations of the Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares that the specified bank notes shall cease to be legal tender with effect from the 9th November, 2016 to the extent specified below, namely:—

1. (1) Every banking company defined under the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and every Government Treasury shall complete and forward a return showing the details of specified bank notes held by it at the close of business as on the 8th November, 2016, not later than 13:00 hours on the 10th November, 2016 to the designated Regional Office of the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as the Reserve Bank) in the format specified by it.

(2) Immediately after forwarding the return referred to in sub-paragraph (1), the specified bank notes shall be remitted to the linked or nearest currency chest, or the branch or office of the Reserve Bank, for credit to their accounts.

2. The specified bank notes held by a person other than a banking company referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 1 or Government Treasury may be exchanged at any Issue Office of the Reserve Bank or any branch of public sector banks, private sector banks, foreign banks, Regional Rural Banks, Urban Cooperative Banks and State Cooperative Banks for a period up to and including the 30th December, 2016, subject to the following conditions, namely:—

(i) the specified bank notes of aggregate value of Rs.4,000/- or below may be exchanged for any denomination of bank notes having legal tender character, with a requisition slip in the format specified by the Reserve Bank and proof of identity;

- (ii) the limit of Rs.4,000/- for exchanging specified bank notes shall be reviewed after fifteen days from the date of commencement of this notification and appropriate orders may be issued, where necessary;
- (iii) there shall not be any limit on the quantity or value of the specified bank notes to be credited to the account maintained with the bank by a person, where the specified bank notes are tendered; however, where compliance with extant Know Your Customer (KYC) norms is not complete in an account, the maximum value of specified bank notes as may be deposited shall be Rs.50,000/-;
- (iv) the equivalent value of specified bank notes tendered may be credited to an account maintained by the tenderer at any bank in accordance with standard banking procedure and on production of valid proof of Identity;
- (v) the equivalent value of specified bank notes tendered may be credited to a third party account, provided specific authorisation therefor accorded by the third party is presented to the bank, following standard banking procedure and on production of valid proof of identity of the person actually tendering;
- (vi) cash withdrawal from a bank account over the counter shall be restricted to Rs.10,000/- per day subject to an overall limit of Rs. 20,000/- a week from the date of commencement of this notification until the end of business hours on 24th November, 2016, after which these limits shall be reviewed;
- (vii) there shall be no restriction on the use of any non-cash method of operating the account of a person including cheques, demand drafts, credit or debit cards, mobile wallets and electronic fund transfer mechanisms or the like;
- (viii) withdrawal from Automatic Teller Machines (hereinafter referred to as ATMs) shall be restricted to Rs.2,000 per day per card up to 18th November, 2016 and the limit shall be raised to Rs.4,000 per day per card from 19th November, 2016;
- (ix) any person who is unable to exchange or deposit the specified bank notes in their bank accounts on or before the 30th December, 2016, shall be given an opportunity to do so at specified offices of the Reserve Bank or such other facility until a later date as may be specified by it.

3. (1) Every banking company and every Government Treasury referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 1 shall be closed for the transaction of all business on 9th November, 2016, except the preparation for implementing this scheme and remittance of the specified bank notes to nearby currency chests or the branches or offices of the Reserve Bank and receipt of bank notes having legal tender character.

(2) All ATMs, Cash Deposit Machines, Cash Recyclers and any other machine used for receipt and payment of cash shall be shut on 9th and 10th November, 2016.

(3) Every bank referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 1 shall recall the specified bank notes from ATMs and replace them with bank notes having legal tender character prior to reactivation of the machines on 11th November, 2016.

(4) The sponsor banks of White Label ATMs shall be responsible to recall the specified bank notes from the White Label ATMs and replacing the same with bank notes having legal tender character prior to reactivation of the machines on 11th November, 2016.

(5) All banks referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 1 shall ensure that their ATMs and White Label ATMs shall dispense bank notes of denomination of Rs.100 or Rs. 50, until further instructions from the Reserve Bank.

(6) The banking company referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 1 and Government Treasuries shall resume their normal transactions from 10th November, 2016.

4. Every banking company referred to sub-paragraph (1) of paragraph 1, shall at the close of business of each day starting from 10th November, 2016, submit to the Reserve Bank, a statement showing the details of specified bank notes exchanged by it in such format as may be specified by the Reserve Bank.

[F.No.10/03/2016-Cy.I]

Dr. SAURABH GARG , Jt. Secy.